भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
10 वीं मंजिल , साकार - I , जांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास,
नेहरू ब्रिज के सामने ,आश्रम रोड, अहमदाबाद -9.
दूरभाष : 079-2658 8822 , 2657 8128 **फैक्स : 079 - 2658 9717**
ई - मेल : ahmedabad@cotcorp.com वेब साईट : www.cotcorp.org.in/www.texmin.nic.in
CIN U51490MH197GOI014733

सं. भाकनि/अहद/विपणन/परिवहन/2016-2017/ **दि-ांज : 16.02.2017**

अल्पावधि निविदा सूचना (शॉर्ट टेन्डर नोटीस)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा कपास वर्ष **2016-2017** जे दौरा-ा नि्ज्म जे प्रस्तावित खरीद निझर से रूई गांठों के स्थानिय परिवहन कार्य के लिए प्रतिष्ठित परिवहन ठेकेदारों मुहरब-द अल्पावधि निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । निविदा फार्म कार्यालयीन दिनों में कार्यालय समय में हमारे जार्यालय से रु. 100/- (रूपया सौ मात्र) देजर **दि-ांज 20.02.2017 दोपहर 12.00** बजे तक प्राप्त किये जा सकते है या निगम की वेबसाईट **www.cotcorp.org.in** से प्राप्त किए जा सकते हैं । जो निविदाकर्ता सीधे वेबसाईट से फार्म लेते हैं उनके लिए रू.100/- जा D.D. “The Cotton Corporation Of India Limited” जे -ााम से payable at Ahmedabad , टेन्डर के साथ लगा-ाा अनिवार्य हैं ।

इच्छुक परिवहन ठेकेदार उनके भाव निर्धारित ऑफर फार्म में भरकर सभी पहलुओं से विधिवत तैयार टेन्डर फार्म मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर **" जपास मौसम वर्ष 2016-2017 के लिए स्थानिय परिवहन टेन्डर "** अंकित हो, महा प्रबंधक के -ााम शाजा जार्यालय में दि-ांज 20.02.2017 जो **दोपहर 01.00 बजे** तक या इससे पहले पहुँचाएँ । निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त हुई मुहरबंद निविदाओं को उसी दिन **दोपहर 02.30 बजे** निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेजा । निगम किसी भी टेन्डर को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार अप-ो पास सुरक्षित रखता हैं ।

(महा प्रबंधज)

(VISIT US AT www.cotcorp.org.in)

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD,
AHMEDABAD

TECHNICAL BID - I

Timings

*	Last Date/Time of Tender form Distribution	:	20.02.2017	up to	12.00	PM
*	Last Date/Time of submission of Tender	:	20.02.2017	up to	01.00	PM
*	Date of Tender opening	:	20.02.2017	at	02.30	PM

1. Name of the Transporter / Firm : ________________________
2. Father's name (If Individual) : ________________________
3. Full postal address for communication : ________________________

____

____

Email ID if any : ________________________

Mobile No. : ________________________

Land line No. (With STD code) : ________________________

4. Name of centre for which tender is submitted. : ________________________

____

____

5. Details of EMD : D.D. No.______________dt. ________________

Amount in Rs.________________

Bank : ________________________

6. Details of Tender Form Fee (If down loaded from Web-site) : D.D. No.______________dt. ________________

Amount . Rs.100/-

Bank : ________________________

7. PAN No (Enclose the copy) : ________________________

8. Permanent Address (With Phone No.) : ________________________

____

____

9. Experience of Transportation of cotton Bales : ____________________Years

10. If Earlier worked for The CCI Ltd : Crop Year______________________________

Date : ____________ Signature(With Seal) : ____________________

भा.क.नि.
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
10 वीं मंजिल , साकार - I , गांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास,
नेहरू ब्रिज के सामने ,आश्रम रोड, अहमदाबाद -9.
दूरभाष : 079-2658 8822 , 2657 8128 फैक्स : 079 - 2658 9717
ई - मेल : ahmedabad@cotcorp.com वेब साईट : www.cotcorp.gov.in/www.texmin.nic.in
CIN U51490MH197GOI014733

परिवहन की शर्ते

1. टेन्डर फार्म दिनांक **20.2.2017** को **दोपहर 1.00 बजे** (Sharp) तक हमारे कार्यालय के टेन्डर बॉक्स में डालने होंगे अथवा शाखा कार्यालय में पहुँचानें होंगे तथा जो निविदाकर्ता टेन्डर प्रक्रिया में उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं जिनके सामने प्राप्त टेन्डर उसी दिन दिनांक **20.02.2017** को **दोपहर 02.30** बजे खोले जाएंगे । न्यूनतम दर प्रस्तावित (L1) करने वाले ठेकेदार को ही कार्य आबंटित किया जायेगा ।

2. निविदा देने से पहले शर्तो को ध्यानपूर्वक पढा जाए एवं निविदा से संबंधित कोई भी जानकारी शाखा कार्यालय, अहमदाबाद अथवा संबंधित केंद्र / गोदाम प्रभारी से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती हैं । लेकिन निविदाकर्ता द्वारा एक बार टेन्डर डाल देने के बाद कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं यह भी स्वीकार्य नहीं होगा कि गलती से लिखा गया है । प्रस्ताव सिर्फ निर्धारित फार्म में ही भरे जायें । अन्य कोई फोर्म अथवा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगा ।

3. उपरोक्त केन्द्रों से विभिन्न गोदामों के लिए टेन्डर डालने से यह जरूरी नहीं कि वहाँ निगम का कार्य अवश्य होगा । कार्य न होने की स्थिति में निविदाकर्ता **दिनांक 31.03.2017** के बाद घरोहर राशि वापस लेने हेतु आवेदन कर सकता है ।

4. निविदा दो भाग में विभाजित हैं यानि तकनीकी बिड (BID-I) तथा फाईनान्सियल (financial) बिड (BID-II) । परिवहन ठेकेदार ये दोनों दो अलग अलग सील बन्द कवर में जिन पर BID-I तथा BID-II अंकित रहेगा तथा इन दोनों को एक तीसरे सील बन्द कवर में डालकर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर **"कपास मौसम वर्ष 2016-17 के लिए स्थानिय परिवहन टेन्डर"** लिखा / अंकित होना चाहिए ।

5. निगम की शाखा कार्यालय अहमदाबाद पर गठित समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में प्राप्त टेन्डरों में से पहले तकनीकी बिड (BID-I) खोली जायेगी । वित्तीय बिड (BID-II) उसी समय केवल उन्हीं ठेकेदारों से संबंधित खोली जायेगी जिन्हे BID-I में योग्य घोषित किया गया हो ।

6. परिवहन कार्य अनुमोदित दरों पर पूरे कपास मौसम यानि 2016-2017 के दौरान जारी रखा जाएगा । किसी भी कारणों से बाद में दरों की वृद्धि पर विचार नहीं किया जायेगा ना तो इस बारे में कोई प्रस्ताव रखा जायेगा । **“निविदाकर्ता द्वारा Quote की जानेवाली दरें सभी करों सहित होगी (सर्विस टैक्स को छोडकर)”**। यह दरें 20.02.2017 से 30.09.2017 तक प्रभावी रहेंगी । जरूरत पडने पर आपसी सहमति से यह समय सीमा तीन महिने के लिये बढाई जा सकती है ।

2/-

7. यदि निविदाकर्ता द्वारा दी गयी निविदा में निगम की शर्तो के अलावा कोई भी शर्ते रखी अथवा संलग्न की जाती है तो वे मान्य नहीं होगी । निगम की शर्तो के अनुसार ही कार्य आदेश दिया जायेगा । अत: निविदा कर्ता निविदा में अपनी ओर से कोई भी शर्त अलग से न रखे ।

8. निगम के प्रस्तावित केन्द्रों पर परिवहनकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि / कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी । परिवहनकर्ता का रूई गांठों के परिवहन का अनुभव प्लस Point माना जायेगा ।

9. उठाई जानेवाली गांठों की संख्या की जानकारी के लिये ट्रान्सपोर्टर को निगम के केन्द्र प्रभारी/फैक्टरी प्रभारी से निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा । ट्रान्सपोर्टर को फैक्टरी से गांठों को उठाने की व्यवस्था लॉट के प्रेसिंग होने की तारीख से अधिक से अधिक 5 दिन के भीतर करनी होगी । अगर किन्ही अपरिहार्य कारणों से गांठें उठाने में देरी होती है तो तुरन्त केन्द्रप्रभारी को सुचित करना होगा । अगर बिना किसी ठोस कारण के गांठें उठाने में विलंब हुआ तो कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु निगम द्वारा ट्रान्सपोर्टर के Cost/Risk पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जिसकी सारी जिम्मेदारी ट्रान्सपोर्टर की होगी एवं इसके लिए ट्रान्सपोर्टर को कोई अन्य सूचना/नोटीस दिया जाना आवश्यक नहीं होगी ।

10. परिवहन का कार्य सी.डबल्यू.सी./जी.एस.डबल्यू.सी./ए.पी.एम.सी./सोसायटी आदि के कार्यालय समय के दौरान पूरा करना होगा एवं इन संस्थाओं द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा ।

11. गांठों को ले जाने के दौरान रास्ते में अगर, किसी प्रकार का Nonrefundable खर्चा अर्थात ऑक्ट्रोय तथा अन्य स्टेच्यूटरी (सांविधिक) चार्ज आदि लगता हो तो इसका भुगतान ट्रान्सपोर्टर करेगा जो उसे अपने बिल के साथ भारतीय कपास निगम के नाम की ओरिजिनल रसीद प्रस्तुत करने पर वापस कर दिया जायेगा ।

12. परिवहनकर्ता द्वारा प्रत्येक माह की 10 , 20 एवं 30 तारीख तक के कार्य के परिवहन के बिल प्रस्तुत किये जायेंगे । छोटे छोटे बिल तैयार नहीं किये जायेंगे । बिल दो प्रतियों में तैयार किये जायेंगे जिनमें गांठों की संख्या / लॉट नंबर / पी.आर. नंबर / स्टेशन / वेराईटी, फसल वर्ष, गांठों का मूवमेन्ट, ट्रक/लॉरी नंबर, प्रति गांठ दर आदि के विवरण दर्शाये जायेंगे तथा ये बिल सम्बधित केन्द्र प्रभारी से सत्यापित करवाकर ही शा.का. में प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।

13. निगम के अहमदाबाद कार्यालय में बिलों का भुगतान बिल प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के भीतर किया जायेगा बशर्ते कि बिल सही हो । उपरोक्त अनुसार प्राप्त बिलों के चैकिंग के बाद उनका 90 % भुगतान 10 दिन में परिवहनकर्ता को आयकर अधिनियम के अनुसार जरूरी कटौति (TDS) के बाद किया जायेगा । शेष 10 % राशि का भुगतान ट्रान्सपोर्टेशन कार्य के संतोषजनक निष्पादन के बाद फसल वर्ष के अन्त में किया जायेगा । **अगर निगम के पास ऐसी कटौती एवं घरोहर राशी को मिलाकर दस लाख रूपया जमा हो जाता है तो ट्रान्सपोर्टर के आवेदन करने पर इससे अधिक राशी उसे लौटाई जा सकती है बशर्ते उसका कार्य संतोषजनक रहा हो ।**

14. निज़म के केन्द्रों पर ट्रान्सपोर्ट होनेवाली गांठों को प्राप्त करते समय परिवहनकर्ता गांठों के प्रेस नोट की एक प्रति लेंगे तथा अपने प्राधिकृत एजेंट या कर्मचारी का हस्ताक्षर देंगे । लदान के समय अगर जांठें डेमेज/बर्स्ट पायी जाये तो उनकी कंडीशन का विवरण एल.आर/जी.सी. नोट में दर्ज किया जायें तथा लदान के समय सी.सी.आई. के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रात किये जायें ।

15. गन्तव्य स्टेशन पर पहुँचने के बाद गांठें आदि की डिलीवरी देते समय परिवहनकर्ता सीसीआई के प्रतिनिधि की सही पावती हेतु हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे तथा इस पावती को वे ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज के बिल जे साथ सी.सी.आई को पेश करेंगे । गांठों की डिलीवरी गन्तव्य स्थान पर ओफिस समय अवधि के दौरान देनी होगी ।

16. ट्रान्सपोर्टेशन के लिये सौंपे गये माल का पूरा ध्यान परिवहनकर्ता रखेगा । किसी प्रकार की हानि के लिये सभी गांठों की नुकसानी या खराबी के लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा ।

17. रूकावट तथा वापसी (डिटेन्शन एण्ड रिटर्न) के लिए किसी प्रकार के भाडे का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

18. ट्रक की हालत ऐसी न हों कि वह गांठों को क्षतिग्रस्त करें । केमिकल्स तथा कोयला आदि ढोने वाले ट्रकों की पूरी सफाई करने के पश्चात ही गांठों की लदाई की जायें । आवश्यकता अनुसार परिवहनकर्ता को ट्रक पर खुद की तारपोलिन आदि बिछा कर गांठों की लदाई करनी होगी ।

19. यदि दो या दो से अधिक परिवाहक एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो उनमें बराबर बराबर मात्रा मे कार्य आबंटित किया जायेगा ।

20. गांठों के परिवहन संबंधित कार्य में दोषी होने पर यदि निगम को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो परिवाहक द्वारा दी गई जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं परिवाहक को ब्लेक लिस्ट करते हुए नुकशान की राशि वसूलने हेतु कानुनी कार्रवाई की जा सकती है ।

21. टेन्डर मे भरी इुई दरें स्पष्ट होनी चाहिए,जो दरें स्पष्ट नहीं होंगी वह दरें रद् समझी जाएगी । फैक्स या ई-मेल मा-य -हीं होगी । **अगर टेन्डर में भरी गयी दरों में कटींग की जाती है तो उस पर हस्ताक्षर अवश्य किए जाएँ । पेन्सिल से लिखे गये दर मान्य नहीं होंगे ।**

22. लदान करने की जगह से गन्तव्य स्थान पर उतारने तक माल के खो जाने, नुकसान होने, चोरी होने या नष्ट हो जाने पर परिवाहक को माल की पूरी ज़ीमत की पूर्ति करनी होगी । साथ ही माल को गन्तव्य स्थान पर डिलीवरी नहीं देने के परिणाम स्वरूप जो अनुगामी हानि और घाटा होगा उसके लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा ।

23. वर्तमान में प्रभावी स्थानीय निकाय, राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पब्लिक केरियर पर लागू सभी अधिनियमों तथा अन्य कानून द्वारा केरियर पर निर्दिष्ट जिम्मेदारी के अतिरिक्त केन्द्र पर रूई की गांठों की डिलीवरी लेने के समय से लेकर रूई की गांठों की वास्तविक रूप से डिलीवरी सीसीआई को या इसके आदेशानुसार देने के दौरान रूई गांठों को हानि या कोई भी अधिनियम या कानून के उल्लंघन के लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा ।

24. रुई की गांठों के परिवाहक द्वारा लोडिंग के पश्चात से गांठों की अनलाडिंग तक के दौरान यदि गांठों को किसी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये परिवाहक सीसीआई को क्षतिपूर्ति करेगा चाहे रूई गांठों को नुकसान होने के कारणों पर परिवाहक का युक्तिपूर्वक नियंत्रण रहा हो या न रहा हो ।

25. परिवाहक को बीमा नियमों के अनुसार ट्रक में लादी गई रूई की गांठों को तुरन्त अच्छे और मजबूत तारपोलिन से ढकना होगा । यदि इस प्रकार गांठों को तारपोलिन से ढके न जाने पर होने वाली किसी भी हानि की भरपाई परिवाहक द्वारा निगम को करनी होगी ।

26. परिवहनकर्ता को समय समय पर जो रूई गांठें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए सुपुर्द की जाती हैं उनके किसी भी भाग को वह गिरवी (मोर्टगेज) नहीं रखेगा तथा इन शर्तों के उल्लंघन करने पर पूरी हानि तथा नुकसान के लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा ।

27. यदि गांठों के परिवहन के दौरान किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इस नुकसान का ऐसेसमेन्ट करने के लिए सीसीआई या बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा मांगी गई सभी सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य होगा । परिवहनकर्ता जो ऐसे माल को पुनः बुकिंग स्थल पर अथवा जहां सीसीआई चाहेगी उस ठिकाने पर पहुँचाना होगा तथा सीसीआई को अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंपना होगा जिसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जायेगा ।

28. निगम की लिखित आज्ञा के बिना रास्ते में ट्रान्सशिपमेन्ट की अनुमति नहीं होगी ।

29. सीसीआई या उसके प्रतिनिधि द्वारा परिवहनकर्ता को सौंपे गये माल का नियंत्रण निविदा में दी गई शर्तों द्वारा तय किया जायेगा तथा लॉरी रसीद में निर्दिष्ट शर्तों या अनुदेशों को जो इसमें दर्शाई गई शर्तों के प्रतिकूल होंगी, (उन्हें) निष्क्रिय माना जायेगा जो सीसीआई के लिये बाध्यकारी नहीं होंगी ।

30. निविदा में दी गई किसी भी शर्त का परिवहनकर्ता द्वारा उल्लंघन करने पर सीसीआई को यह अधिकार होगा कि वह तीन दिन की लिखित नोटीस देकर इस कॉन्ट्रक्ट को समाप्त कर दें तथा जमानत राशि जब्त कर लें ।

31. जिस ठेकेदार के न्यूनत्तम दर पायें जाते हैं उसे कार्य आदेश जारी होने के 7 दिनों में **रू. 100/-** के स्टेम्प पेपर पर एक अनुबंध करवाकर देना होगा जिसका स्वरूप निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा । निगम के कार्यालय में यह अनुबंध प्राप्त होने पर ही कार्य दिया जायेगा ।

32. अंतिम निर्णय होने की तारीख से तय की गयी दर एक वर्ष की अवधि अथवा अधिकत्तम 30 सितंबर, 2017 तक लागू रहेंगीं तथा जरूरत पडने पर दोनों पार्टियों की सहमति से अधिकत्तम अगले तीन महीने के लिये इसका नवीनीकरण कराया जा सकता हैं । इस दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा दर बढाये जाने पर,भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल,पेट्रोल,टायर व अन्य कल पुर्जो के दर बढाने पर या कोई टैक्स लागू करने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा तथा टेन्डर में भरी/स्वीकृत की गई दरों में कोई बढोतरी नहीं होगी। अत: टेन्डर में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान लागू रहेगी और परिवाहक उन्ही दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा । सभी गांठें परिवाहक को सडक परिवहन द्वारा भेजनी पडेगी और किसी भी कारणवश यह सडक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नही भेजी जा सकती ।

33. निविदा में दर्शाए गए सभी खरीद केन्द्र प्रस्तावित है । आवश्यकता पडने पर नये खरीद केन्द्र एवं गांठों के भंडारण हेतु नये गंतव्य स्थानों के लिए केन्द्र स्तर पर ही उचित प्रक्रिया अपनाते हुए Short Tender notice जारी कर निगम द्वारा गांठों के परिवहन दरों कर निर्धारण किया जा सकता है ।

34. गांठों के हेन्डलिंग (movement) के दौरान किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना के कारण अगर किसी मजदूर या अन्य व्यक्ति को शारीरिक/मानसिक क्षति पहुंचती है तो इसकी वित्तीय क्षतिपूर्ति के लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा ।

35. परिवहनकर्ता को अपने टेन्डर में BID-I के साथ बयाना के रूप में अलग अलग केन्द्रों के लिये निर्धारित जमानत राशि डिमान्ड ड्राफट /पे ओर्डर /Banker’s cheque द्वारा जमा करनी होगी तथा उक्त डिमान्ड ड्राफ्ट / पे ओर्डर या Banker’s cheque **दि कॉटन कोर्पोरेशन ओफ इन्डिया लिमिटेड** जे पज में **अहमदाबाद** में पेयेबल होना चाहिये । अगर एक से ज्यादा केन्द्रों के लिए टेन्डर दिया जाता है तो बयाना तद्नुसार बढ जाएगा । इस वर्ष के टेन्डर के लिए बयाना के रूप में आवश्यक राशि अलग से जमा करनी होगी । **पूर्व की जमा राशि का कोई संदर्भ नहीं लिया जायेगा** । केन्द्रवार निर्धारित जमानत राशि का विवरण निम्न प्रजार है :-

प्र म सं.	**जे-द्र ज ा -ाम**	**जमानत राशि (प्रति केन्द्र) रू.**
01	**निझर**	**25000/-**

36. निगम के किसी भी खरीद केन्द्र पर कार्य की मात्रा की कोई गारंटी (Guarantee) नहीं होगी ।

37. **गांठों की लॉडिंग / अनलोडिंग के चार्ज का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा मजदूरों को निर्धारित दरों पर करना होगा । अन्यथा बिलों में से आवश्यक कटौती की जा सकती हैं ।**

38. इस कॉन्ट्रेक्ट से बाहर या इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद या दावा उत्पन्न होने पर इसे मध्यस्थता के लिये एक मध्यस्थ के पास भेजा जायेगा जिसकी नियुक्ति भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी लेकिन इसमें निगम का कोई भी कर्मचारी नहीं होगा जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षकारों को बाध्यकारी होगा तथा इस मध्यस्थता का नियंत्रण भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 जे प्रावधा-नों द्वारा जिया जायेगा ।

39. निगम के टेन्डर बोक्स में एक बार टेन्डर डालने के पश्चात निविदाकर्ता टेन्डर वापस नहीं मांग सकता । टेन्डर वापस मांगने पर डिपोझीट की राशी जप्त की जा सकती है ।

40. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो उसको जारी किये गये Work order को निरस्त कर दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में निगम द्वारा उक्त परिवाहक की निगम के पास जमा राशी जब्त की जा सकती है ।

41. भारतीय कपास निगम लिमिटेड बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को पूर्णत: अथवा उसका कोई भाग रद्द करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

42. टेन्डर भरनेवालें परिवाहकों द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तो को ध्यान में रखना होगा । एक बार टेन्डर फार्म देने के बाद यह माना जायेगा कि परिवाहक ने इस फार्म में दी गई सभी नियम एवं शर्ते घ्यान से पढ ली हैं तथा वे इन नियमों एवं शर्तो के अंर्तगत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य है ।

43. **प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर को प्रति सप्ताह एक स्टैटमेंट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लॉट नंबर, गांठों की संख्या, लॉरी नंबर, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पेच की तिथि, स्टेशन (जोदाम) जिसको गांठें भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये । ट्रान्सपोर्टर को प्रति दिन केन्द्र / गोदाम से उठाये जा-ने वाली गांठों का विवरण शाखा कार्यालय , अहमदाबाद को प्रस्तुत करना होगा ।**

44. इस संविदा के बाहर या इससे संबंधित किसी प्रकार का यदि विवाद उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जेवल अहमदाबाद होगा ।

45. यदि निविदाकर्ता को निविदा की शर्तों एवं/अथवा निविदा प्रणाली के संबंध में कोई प्रश्न हो तो वह शाखा कार्यालय से पूछताछ कर सकता है । इसके अलावा यदि किसी निविदा को अस्वीकृत किया जाता है अथवा संभावित निविदा कागजात जारी किए जाते हैं तो वह शाखा कार्यालय से अस्वीकृति का कारण पूछ सकता है ।

(एस के दास)
महा प्रबंधज

मैंने उपरोक्त शर्तें पढी हैं तथा मुझे मंजूर हैं ।

____
ट्रान्सपोर्टर के हस्ताक्षर मोहर के साथ

स्थल : ________________
दि-ांज : ______________

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
10 वीं मंजिल , साकार - I , गांधीग्राम रेल्वे स्टेशन के पास,
नेहरू ब्रिज के सामने ,आश्रम रोड, अहमदाबाद -9.
दूरभाष : 079-2658 8822 , 2657 8128 फैक्स : 079 - 2658 9717
ई - मेल : ahmedabad@cotcorp.com वेब साईट : www.cotcorp.org.in/www.texmin.nic.in
CIN U51490MH197GOI014733

सं. भाकनि/अहद/विपणन/परिवहन/2016-2017/ दिनांक : 16.02.2017

अल्पावधि निविदा सूचना (शॉर्ट टेन्डर नोटीस)

BID - II

रूई की गांठों के भंडारण के लिये मूवमेंट का विवरण

क्रम सं.	केन्द्र	कहां तक	दर प्रति गांठ (आलोडिंग चार्जिस के साथ)
1	निझर से	निझर लोकल	
		मियागाम - करजण	
		बोडेली	
		GSWC , भरूच	

उपरोक्त दर / भाव प्रस्ताव पत्र के साथ संलग शर्तो के मायता के आधार पर दिये गये है और हम इन शर्तो का पालन करेंगे । इसके साथ हम बयाना अग्रिम राशि के रूपये संख्या ________________ दिनांक ______________ बैंक ____________________________________ का भेज रहे हैं ।

स्थल : अहमदाबाद
दिनांक :

____
(ट्रासपोर्टर के हस्ताक्षर मोहर रबर स्टेम्प के साथ)